

(ग) 102 गांव, जिनमें से 22 गांव हूँडी तरह जलमण्ड होंगे, 70 अंगिक रूप से जलमण्ड होंगे तथा 10 गांव परियोजना के कर्मचारिदों के लिए कालीनी बनाने कायंशला आदि के लिए।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सभी बजार निजी भूमि या घरों के अधिग्रहण की वर्तमान बाजार दर पर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उन व्यक्तियों के लिए जो प्रभावजा नहीं हैं उनकी निजी कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए निम्नलिखित दरों पर अनुग्रहपूर्वक अनुदान के भी आदेश दिए गए हैं :

1. सिर्वित भूमि ---- 12,000 रुपये प्रति एकड़

2. श्रेणी-एक भूमि---- 6,000 रुपये प्रति एकड़

3 श्रेणी-दो भूमि— 4,000 रुपये प्रति एकड़

निजी मकानों के मामलों में 20,000 रुपये तक की राशि पर कोई मत्यहास नहीं कम किया जाता। इसके अतिरिक्त 8000 रुपये से कम कीमत वाले मकान के बदले वर्तमान सरकारी आदेशों के अन्तर्गत कम से कम 8000 रुपये दिए जाने हैं।

(ङ) जी नहीं, तथापि भामान पशु आदि ले जाने के लिए प्रत्येक परिवार को 1000 रुपये पुनःस्थापन अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। ठिहरी नगर में रहने वाले लोगों के लिए यह भत्ता निम्न प्रकार है --

रेल भामान ले जाने के लिए

सर्टिफिकेट नगर अधिकारी वाले वाले व्यक्तियों के तथा के लिए

4 सदस्य के परिवार ₹० 200 - प्रति ₹० 100/- के लिए सदस्य प्रति सदस्य

4 सदस्यों से अधिक पर्येक ₹० 100 प्रति 50 रुपये अतिरिक्त सदस्य के लिए अतिरिक्त सदस्य

(च) और (छ) . उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे पुनःस्थापन स्थलों पर मकानों का निर्माण नहीं करेंगे। जहां तक बीज का संबंध है वे पहली कम्पन के लिए बीजों का प्रबन्ध करते हैं परन्तु उसकी कीमत प्रत्येक पुनःस्थापित परिवार को देय 1000 रुपये के कृषि में से बहुल की जाती है।

यमुना धार के खेतों से बाढ़ का पानी निकालना

2478. श्री चन्द्र पाल शैलानी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की दृष्टि करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना धार के खेतों से बाढ़ का पानी निकालने के लिए किसी योजना पर कार्य इस समय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का पूरा व्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत ड्रेन संचय 1 पर कितने पुलों का निर्माण किया गया था और उपरोक्त ड्रेन पर कितने बाकी के पुलों का निर्माण किया जायेगा और इसमें कितना समय लगने की संभावना है ;

(ग) उपरोक्त ड्रेन का निर्माण कार्य कितना पूरा हो चुका है और यह पूरी तरह से कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) क्या इसके रास्ते में आने वाली कुछ इमारतों को गिरा दिया जायेगा और यदि हां, तो ऐसी इमारतों की संख्या कितनी है और क्या हटा दिये जाने वाले व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थान दिये जायेगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री केवार पांडे) : (क) से

(ग) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शाहदरा क्षेत्र से बाढ़ और वर्षा के जल की निकासी के लिए "शाहदरा क्षेत्र को बाढ़ जल निकास स्कीम "नामक एक स्कीम का इस समय क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम में 8.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पांच ड्रेनों का निर्माण परिकल्पित है। ये ड्रेन हैं (1) शाहदरा महाना ड्रेन (2) शाहदरा लिक ड्रेन (3) गाजीपुर ड्रेन (4) ट्रंज ड्रेन नं० 1 (5) ट्रंक ड्रेन नं० 11 सं० ट्रंक ड्रेन 11 पर निर्माण पूर्णरूपण के लिए प्रस्तावित 14 सड़क पुलों में से 3 पूर्ण हो गए हैं 9 का क्रियान्वयन हो रहा है और 2 की अभी हाथ में लिया जाना है। पुनर्संपन्न के लिए प्रस्तावित दो रेल पुलों में से एक पूर्ण हो गया है और दूसरे पर काम जारी है। ट्रंक ड्रेन नं० 1 को प्रस्तावित 13 किलोमीटर की लम्बाई में से 11 किलोमीटर लम्बी भाग तक पूर्ण हो गया है। इस ड्रेन को जून, 1981 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

(घ) जहां आवश्यक समझा जाएगा, जल-निकास स्कीम के निर्माण के रास्ते में आने वाली इमारतों को गिरा दिया जाएगा। इस समय ऐसी इमारतों की ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। वैकल्पिक स्थलों की व्यवस्था करने पर उपर्युक्त समय पर विचार किया जाएगा।